पत्रा
अतः नहीं
दिनांक 24/1/22 पेश हो

दिनांक	आदेश
24/1/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. अप्रार्थी ने जवाब पेश किया। पत्रावली वास्ते ... तलबी हेतु दिनांक 10/2/2022 को पेश हो।
10/2/2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. अप्रार्थी नं. 2 व 3 बावजूद तामील हाजिर नहीं। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी नं. 1 दिनांक 9/3/2022 को पेश हो।
9.3.22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी नं.1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। पूर्व में जवाब प्रा. पत्र हेतु कई अवसर दिये जा चुके हैं। अतः अप्रार्थी नं.1 का जवाब बंद किया जाता है। बहस प्रा. पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी के विरुद्ध दीवानी रामावतार वगै. बनाम फूलचन्द वगै. मु.न. 318/11 में दिनांक 17.09.2012 को की एकपक्षीय कार्यवाही व निर्णय व डिक्री दिनांक 26.9.2012 को अपास्त कर दीवानी प्रकरण में प्रार्थी को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। [illegible] मु.न. 318/11 रामावतार वगै. बनाम फूलचन्द [illegible] में उपलब्ध सम्मन का अवलोकन किया गया। तामील कुनिन्दा द्वारा सम्मन पर कहीं भी [illegible] है जिससे यह साबित नहीं होता है कि किस तारीख को सम्मन तामिल करवाये हैं। प्रतिवादी नं.1 फूलचन्द के सम्मन पर दो गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं, ना ही उनका कोई नाम पता व तारीख अंकित है। इनका सम्मन तामिल कुनिन्दा द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:24:33 IST
Reason: SelfAttested

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	इस रिपोर्ट के साथ पेश किया कि नोटिस लेने से इन्कार किया। तामिल कुनिन्दा द्वारा कहीं भी तारीख का अंकन नहीं किया है। सम्मन पर एक गवाह के हस्ताक्षर है। दो गवाहों के हस्ताक्षर व नाम पता भी अंकित नहीं है। इस प्रकार उक्त दीवानी प्रकरण में सम्मन की तामिल प्रोपर नहीं पाई गई है। उक्त विवेचन से दीवानी वाद पत्र में प्रार्थी को न्यायहित में पुनः सुना जाकर निर्णय व डिक्री पुनः पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 CPC का स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। **आदेश** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ. आदेश 9 नियम 13 व धारा 151 CPC का स्वीकार किया जाता है तथा दावा दीवानी रामावतार वगै. बनाम फूलचन्द वगै. क्र.नं. 318/2011 में दिनांक 17.09.2012 को पारित एकपक्षीय आदेश व निर्णय व डिक्री दिनांक 26.9.2012 को अपास्त किया जाता है तथा उक्त वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्ट्री एडी से करवाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 9.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:24:33 IST
Reason: SelfAttested